न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 171/2018

अनवान :

1. जोगीराम पुत्र नोपाराम कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
2. ईश्वर पुत्र नोपाराम कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
3. मुन्शीराम पुत्र नोपाराम कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
4. महेन्द्र पुत्र नोपाराम कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
5. सीताराम पुत्र नोपाराम कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
6. गुलाबसिंह पुत्र निहालसिंह पुत्र नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।

- वादीगण

बनाम

1. चन्द्र पुत्री नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
2. सावित्री पुत्री नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
3. बिमला पुत्री नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
4. ईन्द्र पुत्री नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
5. धनपति पुत्री नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
6. चन्द्रमुखी पत्नी निहालसिंह जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
7. सुरस्ती पुत्री निहालसिंह जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा [illegible]

वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : प्रति[illegible] सं[illegible]

निर्णय दिनांक : [illegible] 2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:10 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मोजाना के [illegible] खाता सं0 14/13 के खसरा सं0 45 की 4.996 है0 खसरा स0 91 की [illegible] है0 खसरा सं0 103 की 1.543 है0 कुल किता 3 की 7.943 है0 बारानी खातेदारी में वादीगण सं0 1 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात् 1/11–1/11 हिस्सा के अनुसार खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादीगण के सं0 1 ता 5 के पिता नोपाराम की खातेदारी हुआ करती थी। नोपाराम के देहान्त होने पर उसके कुल छः पुत्रों व पांच पुत्रियों के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन इन्तकाल दर्ज हो गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने नोपाराम के देहान्त होने उपरान्त नोपाराम के बाहरवें की रस्म पर ही उक्त भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण व निहालसिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर कुल वाद भूमि वादीगण व वादी गुलाबसिंह के पिता निहालसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा बाद में निहालसिंह का भी देहान्त हो गया जिस पर निहालसिंह के हक की 1/6 हिस्सा भूमि वादी गुलाबसिंह व प्रतिवादी चन्द्रमुखी तथा सुरस्ती को हिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हो गई थी जिसमें प्रतिवादी चन्द्रमुखी व सुरस्ती ने अपना हक हिस्सा वादी गुलाबसिंह के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 व मृतक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

नेहालसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी हक एवं अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं० 8 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्लयु 1 जोगीराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मोजाना सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मोजा ग्राम मोजाना के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया सं० 1 ता 5 के नाम दर्ज कृषि भूमि का मुताबिक पारिवारिक सहमति के घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मोजाना सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1 में वाद कृषि भूमि प्रतिवादिया सं० 1 ता 5 के नाम दर्ज है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 7 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में प्रतिवादीया सं० 1 ता 7 ने वाद कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर देना स्वीकार किया है तथा वारिस प्रमाण पत्र में नोपाराम के वारिसान में छः पुत्र जोगीराम, ईश्वर, मुन्शीराम, महेन्द्र, सीताराम मौजूद होना व नेहालसिंह फौता होना एवं पांच पुत्रियां चन्द्र, सावित्री, बिमला, इन्द्र, धनपती होना एवं मृतक निहालसिंह के वारिसान में पत्नी चन्द्रमुखी, एक पुत्र गुलाबसिंह व एक पुत्री सुरस्ती होना एवं इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोजाना के वर्तमान खाता सं० 14/13 के खसरा सं० 45 की 4.996 है० खसरा सं० 91 की 1.404 है० खसरा सं० 103 की 1.543 है० कुल किता 3 की 7.943 है० बारानी खातेदारी में वादीगण सं० 1 ता 5 के नाम उनके हिस्सो अनुसार खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 ता 5 व निहालसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं० 1 ता 7 वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वाद कृषि भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर व प्रतिवादीया सं० 1 ता 5 एवं निहालसिंह का नाम कमलजन कर रेकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे। खर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-1-21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 171/2018

नवान :

1. जोगीराम पुत्र नोपाराम कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
2. ईश्वर पुत्र नोपाराम कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
3. मुन्शीराम पुत्र नोपाराम कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
4. महेन्द्र पुत्र नोपाराम कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
5. सीताराम पुत्र नोपाराम कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
6. गुलाबसिंह पुत्र निहालसिंह पुत्र नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।

- वादीगण

बनाम

1. चन्द्र पुत्री नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
2. सावित्री पुत्री नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
3. बिमला पुत्री नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
4. ईन्द्र पुत्री नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
5. धनपति पुत्री नोपाराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
6. चन्द्रमुखी पत्नी निहालसिंह जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
7. सुरस्ती पुत्री निहालसिंह जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 श्री पूनमचन्द शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोजाना के वर्तमान खाता सं0 4/13 के खसरा सं0 45 की 4.996 है0 खसरा सं0 91 की 1.404 है0 खसरा सं0 103 की 1.543 है0 कुल किता 3 की 7.943 है0 बारानी खातेदारी में वादीगण सं0 1 ता 5 के नाम उनके हिस्सो अनुसार खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व निहालसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 1 ता 7 वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वाद कृषि भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर व प्रतिवादीया सं0 1 ता 5 एवं निहालसिंह का नाम कमलजन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-3-2[illegible] की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:10 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश बारैठ) सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner